प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.09.23

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा एक अपहृणकर्ता अभियुक्त गिरफ्तार,नाबालिग अपहृता बरामद

थाना वेव सिटी पर दिनांक 4.9.23 को वादी ने अपनी पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के घर से बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध मे तहरीर दी गयी थी इस सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर तहरीर के आधार पर संसुगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था ।घटना की गम्भीरता को देखकर घटना के अनावरण हेतु दो टीमों का गठन किया गया था आज दिनांक 11.9.23 को सीसीटीवी फुटेज व मैनुयल इन्पुट से मुखबिर की सूचना पर बुलन्दशहर रोङ शिव मन्दिर के सामने वाली गली से अभियुक्त गोलू वैष्णव उर्फ सुमित पुत्र जगदीश वैष्णव उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम छीपो का मन्दिर वामोरी कलां थाना मांगरोल जिला बारा राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। तथा नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।
अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

1- गोलू वैष्णव उर्फ सुमित पुत्र जगदीश वैष्णव नि0 ग्राम छीपो का मन्दिर वामोरी कलां थाना मांगरोल जिला बारा राजस्थान उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.09.2023 को पीडिता द्वारा थाना साहिबाबाद पर तहरीर दी गई कि रोहित पुत्र टेकचन्द निवासी म0न0-251,252 सी-6 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दक्षिण-पूर्व दिल्ली उम्र 25 वर्ष ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए है। इस संबंध में थाना साहिबाबाद पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
दिनांक 11.09.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रोहित पुत्र टेकचन्द निवासी म0न0-251,252 सी-6 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दक्षिण-पूर्व दिल्ली उम्र 25 वर्ष को रेड लाइट साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मोड साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही एवं पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे जान पहचान लडकी से मैसेज के माध्यम से हुई थी फिर मैने उससे दोस्ती बढा ली और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बना लिये। और मैने उसकी न्यूड फोटो व वीडियो बना ली और फिर मैं उसको ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता था और मैने लडकी के पिता के व्हाट्सअप पर वीडियो भेज दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

रोहित पुत्र टेकचन्द निवासी म0न0-251,252 सी-6 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दक्षिण-पूर्व दिल्ली उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा दहेज हत्या में शामिल 03 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 10.09.2023 को थाना शालीमार गार्ड़न पर वादी श्री उदयपाल पुत्र विशाल निवासी ग्राम रामपुर थाना गढिया रंगीन जिला शाहजाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त अजय व उसके परिवार जनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर वादी की पुत्री की हत्या के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा टीम गठित कर तत्काल अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु जगह जगह पर दबिस आदि की कार्यवाही की गयी अभियुक्तगण 1. अजय पुत्र धनपाल (पति) 2. धनपाल पुत्र रामशहाय (ससुर) 3. श्रीमती राधा पत्नी धनपाल (सास) निवासीगण ग्राम नरायन नगला थाना परौर जिला शाहजहाँपुर हाल पता ए-35 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद को हुंडई कट 150 फुटा रोड़ शालीमार गार्ड़न से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण—

अभियुक्त अजय पुत्र धनपाल की शादी मृतका पूनम के साथ 06 वर्ष पूर्व हुयी थी। अभियुक्त व अभियुक्त का परिवार मृतका पूनम के माध्यम से उसके माता पिता से अतरिक्त रुपयों व दहेज की माँग करते रहते थे किन्तु मृतका के परिजनों के द्वारा उनकी यह माँग पूरी न करने के कारण खिन्न होकर अभियुक्त अजय ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दहेज के लिये पूनम की गला रेतकर हत्या कर दी।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अजय पुत्र धनपाल (पति)
2. धनपाल पुत्र रामशहाय (ससुर)
3. श्रीमती राधा पत्नी धनपाल (सास) समस्त निवासीगण ग्राम नरायन नगला थाना परौर जिला शाहजहाँपुर हाल पता ए-35 गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा लोहे की एंगल चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 13 लोहे की एंगल व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद

दिनांक 11.09.23 को थाना मसूरी पर वादी सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी 9783 अहाता ठाकुर दास सराय रुहिला नई दिल्ली ने तहरीर दी कि अज्ञात चोर उनकी बंद पड़ी गुप्ता इंशुलन काँच फैक्ट्री भूड़गढ़ी से लोहे के गेट, जंगले व एंगल चोरी कर ले गये है। थाना मसूरी पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 11.09.2023 को थाना मसूरी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना का अनावरण करते हुये दो शातिर चोर 1.फरमान उर्फ फरु पुत्र इलियास निवासी वार्ड 3 डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, 2. नाजिम पुत्र साबुद्दीन निवासी मौहल्ला किले के पास वार्ड नं0 6 डासना थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 13 एंगल, दो नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि ये लोहे के 13 एंगल हमने बन्द पड़ी फैक्ट्री गुप्ता इंसुलशन काँच फैक्ट्री भूड़गढ़ी से आज रात में ही चोरी किये थे तथा चोरी के एंगलों को बेंचने के लिये ई-रिक्शा पर लाद कर ले जा रहे थे तथा यह ई-रिक्शा भी कुछ समय पहले डासना से ही चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.फरमान उर्फ फरु पुत्र इलियास निवासी वार्ड 3 डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ,
2.नाजिम पुत्र साबुद्दीन निवासी मौहल्ला किले के पास वार्ड नं0 6 डासना थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष,

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त फरमान के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में गौकशी, गैंगस्टर, चोरी, बलवा के करीब 7 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।